राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./283/2006/चूरु

1– नरसाराम पुत्र रावताराम, जाति जाट, निवासी धीरवास बडा, तहसील तारानगर, जिला चूरु – फौत
1.1 श्रीमती कानी देवी बेवा नरसाराम
1.2 मान कौर पुत्री नरसाराम पत्नि काशी राम
1.3 केसर पत्नि रामलाल पुत्री नरसाराम
1.4 हुक्मा देवी पत्नि संतलाल पुत्री नरसाराम
समस्त जाति जाट, निवासी पिचकारा की ताल, तहसील सरदारशहर, जिला चूरु

.....अपीलार्थी

बनाम

1– मनीराम पि0 चुनीराम, जाति जाट, निवासी धीरवास बडा, तहसील तारानगर, जिला चूरु – फौत
1.1 श्रीमती कस्तूरी बेवा मनीराम
1.2 विमला पुत्री मनी राम पत्नि मांगीलाल निवासी पिचकरा की ताल तहसील सरदारशहर जिला चुरू
1.3 श्रीमती रामेती पुत्री मनी राम पत्नि किशन लाल जाति जाट निवासी पिचकरा की ताल तहसील सरदारशहर जिला चुरू
1.4 प्रकाश पुत्र मनी राम
1.5 रामनिवास पुत्र मनी राम
1.6 बदाम पुत्री मनी राम पत्नि महेन्द्र निवासी किलापुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
1.7 प्रेम पुत्र मनी राम
1.8 प्रभुराम पुत्र मनी राम
1.9 मुकेश पुत्र मनी राम
समस्त जाति जाट, निवासी धीरवास बडा, तहसील तारानगर, जिला चूरु
2– इन्द्राज पिसरान चुनीराम
3– शिशपाल पिसरान चुनीराम
4– बृजलाल पिसरान चुनीराम
5– मु0 श्योकोरी बेवा चुनीराम
6– मोहर सिंह पुत्र बीरबल
7– रामकुमार पुत्र बीरबल
8– मु0 परमेश्वरी बेवा बीरबल
9– डूँगरराम पुत्र चीनाम
समस्त जाति जाट, निवासी धीरवास बडा, तहसील तारानगर, जिला चूरु
10– राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री पंकज नरुका, सदस्य

उपस्थित–
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दुनीचन्द, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 10.02.2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 27/2000एवं 29/2000 शीर्षक 'नरसाराम बनाम मनीराम' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9–12–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के समक्ष आराजी खसरा नं0 1048, 1049, 1051, 177, 176 कुल रकबा 108 बीघा 3 बिस्वा वाके मौजा धीरवास में से वादीगण 1/2 हिस्से खातेदार घोषित करने व वादीगण का पृथक से रकबा 54 बीघा 2 बिस्वा घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती व विभाजन हेतु प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रश्नगत आराजी में अपना नाम गलत प्रकार से अंकित करवा लिया है अतः प्रतिवादी सं0 4 का नाम रिकार्ड से हटाया जाये और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को भी वादग्रस्त भूमि में वादीगण के साथ खातेदार काश्तकार अंकित किया जाये। प्रतिवादी संख्या 4 नरसाराम की ओर से असहमति का जवाब दावा मय प्रतिवाद (Counter-Claim) प्रस्तुत किया और काउन्टर क्लेम में अनुतोष चाहा कि खसरा नं0 1048, 1049, 1051, 166 कुल रकबा 821 बीघा 4 बिस्वा में 1/2 हिस्से का उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता बीरबल व चुनीराम द्वारा तैयार किया रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर 1/2 हिस्से की खातेदारी का अंकन प्रतिवादी संख्या 4 के नाम किया जाये। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं ए0 सी0 सी0 (मुख्यालय), चुरू ने निर्णय दिनांक 28–6–2000 से दावा वादी आंशिक स्वीकार आराजी खसरा नं0 1048, 1049, 1051, 177, 176 कुल रकबा 108 बीघा 3 बिस्वा में वादीगण के पक्ष में 1/4 हिस्से की डिक्री प्रदान की तथा प्रतिवादी संख्या 4 नरसाराम का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध दो अपीलें कमशः अपील संख्या 27/2000 उनवानी मनीराम बनाम मोहरसिंह अपील संख्या 29/2000 उनवानी मोहरसिंह बनाम नरसीराम अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दोनों अपीलों को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2005 से आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया की वादपत्र के अनुतोष, जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के अनुतोष आदि को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से तनकीयात कायम कर और पुनः साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उक्त दोनों अपीलों के निर्णयों के विरूद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 ने बहस में आपत्ति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वादी/रैस्पो0 ने राजस्व वाद अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया और प्रतिवादी संख्या 4 नरसाराम की ओर से असहमति का जवाब दावा मय प्रतिवाद (Counter-Claim) प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं ए0 सी0 सी0 (मुख्यालय), चुरू ने निर्णय दिनांक 28–6–2000 से दावा वादी आंशिक स्वीकार किया और उक्त निर्णय के विरूद्ध दो अपीलें क्रमशः अपील संख्या 27/2000 उनवानी मनीराम बनाम मोहरसिंह अपील संख्या 29/2000 उनवानी मोहरसिंह बनाम नरसीराम अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दोनों अपीलों को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2005 से आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया की वादपत्र के अनुतोष, जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के अनुतोष आदि को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से तनकीयात कायम कर और पुनः साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उक्त दोनों अपीलों के निर्णयों के विरूद्ध मण्डल के समक्ष एक ही अपील प्रस्तुत की गई है, जब कि उन्हें दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थीं। आर0बी0जे0 (24) 2017 पेज 390 माननीय राज0 उच्च न्यायालय, आर0बी0जे0 2014 पेज 42, 2020 आर0आर0टी0 पेज 198 एवं 2013 आर0बी0जे0 पेज 371 को उद्धरित किया। योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस प्रकार की स्थिति में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई एक अपील संधारण योग्य नहीं है, अतः अपील को इसी आपत्ति के आधार पर खारिज किया जाये।

5– अपीलार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि रैस्पो0 की उक्त आपत्ति संधारण योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने भी एक ही निर्णय पारित किया है, अतः यह आवश्यक नहीं रहा है कि मण्डल के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत की जाये। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के निर्णय दिनांक 6–2–1969 के द्वारा चुनीराम व बीरबल के बराबर बराबर हिस्से के मुताबिक दावा डिक्री किया गया था। इसके अनुसरण में दोनों के नाम इंतकाल संख्या 206 स्वीकृत किया गया था। नायब तहसीलदार, तारानगर ने गलत प्रकार से नरसाराम के पक्ष में खसरा नम्बर 176 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 543 दर्ज किया है। वादीगण प्रश्नगत आराजी में से 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं, जिसे घोषणा कराने का उन्हें अधिकार है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करने में अनियमितता की है क्योंकि दिनांक 6–2–1969 का कोई निर्णय रहा ही नहीं है, जब कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं ए0 सी0 सी0 (मुख्यालय), चुरू ने निर्णय दिनांक 28–6–2000 से दावा वादी आंशिक स्वीकार करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाये।

6– रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दोनों अपीलों को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया है कि वादपत्र के अनुतोष, जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के अनुतोष और पूर्व

के निर्णय दिनांक 6.2.1969 के प्रभाव आदि को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से तनकीयात कायम कर और पुनः साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। इस निर्णय में गुणावगुण पर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है और परीक्षण न्यायालय के स्तर से प्रकरण में विधिवत पुनः परीक्षण हो जायेगा।

7– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

8– हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि वादी/रैस्पो0 ने राजस्व वाद अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब दावाएवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत गया और प्रतिवादी संख्या 4 नरसाराम की ओर से जवाब दावा मय प्रतिवाद (Counter-Claim) प्रस्तुत किया और काउन्टर क्लेम में अनुतोष चाहा कि खसरा नं0 1048, 1049, 1051, 166 कुल रकबा 821 बीघा 4 बिस्वा में 1/2 हिस्से का उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता बीरबल व चुनीराम द्वारा तैयार किया रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर 1/2 हिस्से की खातेदारी का अंकन प्रतिवादी संख्या 4 के नाम किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने वादपत्र, जबाबदावा व प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम कीं और परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं ए0 सी0 सी0 (मुख्यालय), चुरू ने निर्णय दिनांक 28–6–2000 से दावा वादी आंशिक स्वीकार कर आराजी खसरा नं0 1048, 1049, 1051, 177, 176 कुल रकबा 108 बीघा 3 बिस्वा में वादीगण के पक्ष में 1/4 हिस्से की डिक्री प्रदान की तथा प्रतिवादी संख्या 4 नरसाराम का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध दो अपीलें क्रमशः अपील संख्या 27/2000 उनवानी मनीराम बनाम मोहरसिंह अपील संख्या 29/2000 उनवानी मोहरसिंह बनाम नरसीराम अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दोनों अपीलों को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2005 से आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया कि **"वादपत्र के अनुतोष, जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के अनुतोष और पूर्व के निर्णय दिनांक 6.2.1969 के प्रभाव आदि को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से तनकीयात कायम कर और पुनः साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।"** स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दो अपीलों अपील संख्या 27/2000 उनवानी मनीराम बनाम मोहरसिंह अपील संख्या 29/2000 उनवानी मोहरसिंह बनाम नरसीराम में पारित किए गए निर्णय दिनांक 9–12–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत एक अपील प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार काउण्टर क्लेम भी एक वाद का ही रुप होता है और उस पर वे सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि एक वाद में लागू होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 पेज 1645 में मत प्रतिपादित किया है कि दो वादों के कंसोलीडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू होंगे। आर0एस0ए0 नम्बर 14/2015 निर्णय दिनांक 28–1–2015 में माननीय केरल उच्च न्यायाालय द्वारा मत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी वाद में प्रतिवाद

प्रस्तुत होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है तो ऐसे मामले में धारा 11, सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त मौजूदा प्रकरण में लागू होते हैं। इस मामले में भी वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया था उसे आंशिक डिक्री किया गया और प्रतिवादी संख्या–4 नरसाराम का प्रतिवाद डिक्री किया गया है। इस निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जब दो अपीलें प्रस्तुत की गई थीं तो मण्डल के समक्ष भी दो अपीलें ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थीं, एक अपील प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं रहा है और दो अपीलों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई एक अपील पोषणीय नहीं रहती है। प्रकरण में यह भी पाया जाता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण को इन निर्देशों के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है कि "वादपत्र के अनुतोष, जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के अनुतोष और पूर्व के निर्णय दिनांक 6.2.1969 के प्रभाव आदि को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से तनकीयात कायम कर और पुनः साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।" स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना में, परीक्षण न्यायालय के स्तर पर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर परीक्षण होना है, अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हमें किसी प्रकार की अनियमितता होना भी प्रकट नहीं होता है।

9– फलतः उपरोक्त विवेचन व प्रकरण के तथ्यों की रोशनी में हस्तगत अपील अपीलार्थी **खारिज** की जाती है।

(पंकज नरुका)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य